



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/112/2019 /3822
To,

दिनांक: 31.12.2019

Shri Ajeet Kumar
S/o Shri. Kajoriram Verma,
CHC Chhabra(Govt. Hospital, Chhabra)
District : Baran
Rajasthan
Ph no:9460494388

Subject: - Application filed under Right to Information Act, 2005-regarding.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 30.10.2019 received in this office on 11.12.2019.

In this context, it is observed that the information sought by you pertains to third party information which can not be provided as per Section 8(1)(d) of the RTI Act, 2005. So the RTI Application filed by you is rejected in terms of section 8(1)(d) of the RTI Act, 2005.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:

1. वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आर. श्री. 21/12/19
31/12/19
सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,